

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र06/रा0कू0(मुद्रण)-03/13 2268

खाद्य/दिनांक - 11/05/2017

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।


विषय :- माह जुलाई- 2017 से राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के अन्तर्गत पात्र लाभुकों को पारदर्शी तरीके से निर्धारित दर एवं मात्रा पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु बिहार राशन कूपन योजना के अन्तर्गत माह जून - 2017 तक राशन कूपन उपलब्ध कराया गया था । चूंकि राज्य में राशन कूपन की व्यवस्था के स्थान पर End to End Computerization के तहत Point of sale (POS) की व्यवस्था को लागू किया जाना है। जन वितरण वितरण प्रणाली को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शी बनाये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अतः माह जुलाई, 2017 से Point of sale (POS) मशीन लगाने तक राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से कराया जाय ।

विश्वासभाजन


सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक - प्र06/रा0कू0(मुद्रण)-03/13 - 2268

खाद्य/दिनांक - 11/05/2017

प्रतिलिपि- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/अपर जिला दण्डाधिकारी(आपूर्ति) पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव ।